रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2001/माघ 26, 1922

No. 92] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2001/MAGHA 26, 1922

GOVERNMENT OF INDIA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2001

का.आ. 134(अ).— पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना का0ज्ञा0 सं0 168 (अ) तारीख 18 फरवरी, 2000 के अधीन, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे,

उक्त राजपत्र जनता को 24 फरवरी, 2000 को उपलब्ध करा दिया गया था,

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है,

अतः अब, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1), उपधारा (1क) ओर उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम,1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में विद्यमान खण्ड (ड़) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्-

(ड़) " प्रयोग" से जैव, मनोवैज्ञानिक, मानव जातीय, भौतिक या रासायनिक प्रकृति के ज्ञान के अर्जन के लिए पशु/पशुओं के उपयोग से अन्तर्वलित कोई कार्यक्रम/परियोजना अभिप्रेत और उसके अंतर्गत प्रतिजन और रोग प्रतिकारक जैस अभिकर्मकों के उत्पादन, नैत्य, नैदानिक, परीक्षण क्रियाकलाप और ट्रांसजैनिक भंडारों की स्थापना में पशु का उपयोग भी है जो जीवन की सुरक्षा का उसे दीर्घ बनाने के लिए या यातनान्यून करने या मनुष्यों या पशुओं को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी है ।

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्, -

(ग) कोई अभिजनक या स्थापन पशुओं पर प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण् पर उन शर्तो का अनुपालन करेगा जो समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय विनिर्दिष्ट की जाएं ।

IndiaCode

(घ) समिति या समिति द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रजिस्ट्रीकरण पर आवेदन करने के तीन मास के भीतर विनिश्चय करेगा ।

(ङ.) यदि रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्रसुविधाओं में कोई उपान्तरण अपेक्षित है तो समिति द्वारा आवश्यक ब्यौरे संसूचित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"6 **किए गए प्रयोगों का ब्यौरा- (क)** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन, प्रयोग करने के लिए रोजाना उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं के बारे में विशिष्टियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें पशुओं की संख्या, जातियां, आयु, लिंग और अन्य सुसंगत विशिष्टियां रखी जाएंगी ।

(ख) समिति या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस प्रकार रखे गए रजिस्टर की परीक्षा कर सकेगा और यदि समिति का सुधार के लिए दिए गए अवसरों के पश्चात् भी समाधान नहीं होता है तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इन नियमों के अधीन समुचित हो ।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 में, विद्यमान शर्त (च) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(क) पशु प्रयोग में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न जातियों के आवासन, पोषण और अनुरक्षण के लिए विस्तृत विनिर्देशों का जो समिति द्वारा अधिसूचित किए जाएं, रजिस्ट्रीकृत स्थापन द्वारा पालन किया जाएगा ।

IndiaCode

(ख) ऐसे विस्तृत विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक की अन्तरिम अवधि के दौरान अभिजनक और स्थापन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी मार्गदर्शनों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करेंगे । "

(6) उक्त नियमों के नियम 9 में (i) विद्यमान शर्त (क) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्-

(क) प्रत्येक दशा में प्रयोग हुए नमित सम्यकरूप से अर्हता प्राप्त ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन किए जाएंगे अर्थात् जो ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो समिति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए निश्चित की गई हैं, आयुर्विज्ञान या पशु विज्ञान में डिग्री धारक हो, जीव विज्ञान/औषध निर्माण विज्ञान या किसी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर और उससे ऊपर हो, औषधालय में डिग्री व डिप्लोमा धारक, प्रयोगशाला, पशु तकनीक विज्ञानों में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र धारक हो तथा वह प्रयोग करने के लिए उत्तरदायित्वाधीन हों,

(ii) विद्यमान शर्त (क) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्-

(क) प्रयोगों को, विद्यालयों, महाविद्यालयों और समिति द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्थापनों में सम्यकरूप से संवीक्षित और अनुज्ञात कार्यक्रमों के सिवाय किसी मानविक कुशलता को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा," .

(iii) विद्यमान शर्त (ञ) में उरारी या कुरारी अथवा किसी ऐसे पैरेलिसन के नाम से ज्ञात पदार्थ "शब्दों के स्थान पर," पक्षाघात कारक, जिसके अंतर्गत कुरारी है किन्तु वह इसी तक सीमित नहीं है, के शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(i) उप नियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्

" (ख) कोई अभिजनक या स्थापन किसी पशु को किसी रजिस्ट्रीकृत अभिजनक या स्थापन के सिवाय विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं करेगा ।

2(खख) आनुवंशिकतः परिभाषित विकृति के प्रयोगशाला अभिजनित प्रयोग के चूहे और मूषकों की जातियों के अर्जन के लिए जो देश में उपलब्ध नहीं है, रजिस्ट्रीकृत अभिजनक या स्थापन पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थागत पशु नीति समिति से अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।"

(ii) उप नियम (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(ङ.) किसी रजिस्ट्रीकृत अभिजनक या स्थापना द्वारा आनुवंशिकतः परिभाषित या आनुवंशिक्तः परिभाषित विकृति के प्रयोगशाला अभिजनित प्रयोग के चूहों और मूषकों के सिवाय किसी पशु का, जो देश में उपलब्ध हैं, आयात नहीं किया जाएगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"12. पशु प्रयोग संबंधी संविदा-कोई स्थापन, किसी अन्य स्थापन या अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्था की ओर से संविदा पर अनुसंधान या प्रयोग करने की संविदा, समिति की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा या उसका वचन नहीं देगाः

परन्तु ऐसा कोई निबंधन शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को लागू नहीं होगा ।"

[फा. सं. 7-5/98-ए डब्ल्यू (जि. II)]
ए. के. जोशी, सदस्य सचिव
(पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति)

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 809 तारीख 15 दिसम्बर, 1998 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2001

S.O. 134(E).— Whereas certain draft rules to amend the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 were published, as required by sub-section (1) of section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 168(E) dated the 18th February, 2000 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

IndiaCode

And whereas the said Gazette was made available to the public on 24th February, 2000;

And whereas the objections/suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Committee for control and supervision of experiments on animals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (2) of section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Committee for control and supervision of experiments on animals hereby makes the following rules to amend

the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998(hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for the existing clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

(e) **"experiment" means any programme/project involving use of an animal/animals for the acquisition of knowledge of a biological, psychological, ethological, physical or chemical nature; and includes the use of animal in the production of reagents and products such as antigens and antibodies, routine diagnostics, testing activity and establishment of transgenic stocks, for the purpose of saving or prolonging life or alleviating suffering or for combating any disease whether on human beings or animals.**

3. In the said rules, in rule 5, for sub-rule (c) , the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(c) A breeder or the establishment on registration for the purpose of performing experiments on animals shall comply with the conditions as may be specified at the time of registration by the Committee.

(d) The Committee or any other officer authorized in this regard by the Committee shall take decision on the registration within three months of making the application.

(e) If any modification of facilities are required before registration, the details needed shall be communicated by the Committee."

(4) In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Details of the experiments conducted:- (a) Every registered establishment shall maintain a register of particulars about the animals used from day to day for conducting experiments, with the number of animals, the species, the age, gender and other relevant particulars."

(b) **"The Committee or any other officer authorized by the Committee may examine the register so maintained and if the Committee is not satisfied even after opportunities given for improvement, it may take such action as may be appropriate under these rules".**

(5) In the said rules, in rule 7, after the existing condition (f), the following conditions shall be inserted, namely:-

"(g) – detailed specifications for housing, feeding and maintenance of various species to be used in animal experimentation as notified by the Committee, shall be adhered to by the registered establishment.

(h) In the interim period till such detailed specifications are notified, the breeders and establishments shall comply with the standards specified by the Indian National Science Academy Guidelines."

(6) In the said rules, in rule 9, - (i) for the existing condition (a), the following condition shall be substituted, namely:-

"(a) experiments shall be performed in every case by or under the supervision of a person duly qualified in that behalf, that is, **Degree holders in Medicine or Veterinary Science, Post Graduate and above in Life Sciences/Pharmaceutical Sciences or any other natural sciences, Degree or Diploma holders in Pharmacy, Diploma or Certificate in Laboratory Animal Techniques Sciences from a recognized institution as identified by Committee for the Purpose of Control and Supervision**

of Experiments on Animals for the purpose and under the responsibility of the person performing the experiment;";

(ii) for the existing condition (g), the following condition shall be substituted, namely:-

"(g) the **experiments shall not be performed for the sole purpose of attaining or retaining manual skill except in schools, colleges and programmes duly scrutinized and permitted in registered establishments by the Committee;**";

(iii) in the existing condition (j), for the words, "the substance known as urari or curare or any such paralysan shall not be used", the words **"no paralyzing agent, including but not limited to curare, shall be used" shall be substituted.**

IndiaCode

7. In the said rules, in rule 10, -

(i) for sub-rule (b), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(b) **A breeder or establishment shall not acquire any animal by sale or otherwise except from a registered breeder or establishment.**

(bb)For the acquisition of laboratory bred experimental rats and mice species of genetically defined strains not available within the country, the registered breeders or establishments shall apply for permission to the Institutional Animal Ethics Committee recognized by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals."

(ii) for sub-rule (e), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(e)**No animal shall be imported by a registered breeder or establishment, except genetically defined or laboratory bred experimental rats and mice of genetically defined strains, which is available in the country."**

458 GI/2001-2

8. In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:-

"12. Contract animal experiments. – No establishment shall contract or undertake to perform contract research or

experiments on contract basis on behalf of any other establishment or research or educational institution, except with prior permission of the Committee:

Provided that no such restriction shall apply to collaborative research between academic institutions."

[F. No. 7-5/98-AW (Vol. II)]

A. K. JOSHI, Member Secy.

(Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals)

IndiaCode

Note —The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 809, dated 15th December, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.